


राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक: पं05(1)चिस्वा / 2/09

जयपुर, दिनांक: २५/२/०९

निदेशक(जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

NO/PA/Dir./P. H.



विषय:—द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन ASICON-09

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि Clinical Management of HIV/AIDS पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 27.02.09 से 01.03.09 तक बिडला सभागार में होने जा रहा है। अतः राजकीय चिकित्सालयों में योन रोग, एआरटी, पीपीसीटी में कार्य करने वाले चिकित्सकों को उक्त सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:—

- 1—चिकित्सालय का कार्य प्रभावित नहीं हो, इसकी समुचित व्यवस्था की जावे।
- 2—राज्य सरकार द्वारा इस बाबत किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- 3—कान्फ्रेन्स में उपस्थिति अवधि राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-7(8)(ख)(1) के अधीन ड्यूटी मानी जावेगी।

अतः समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को इस हेतु आवश्यक निर्देश जारी करावें। //

भवदीय,

शासन उप सचिव

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई / राजपत्रित / सामान्य / 09 / ८)

दिनांक : २४/२/०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं ओवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
 2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज० जयपुर को उनके पत्र दिनांक 24.02.09 के क्रम में।
 3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
 4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों को सम्मेलन में भाग लेने हेतु मनोनीत कर पालना से अवगत करावें।
 5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, को भेजकर लेख हैं कि आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों को सम्मेलन में भाग लेने हेतु मनोनीत कर पालना से अवगत करावें।
 6. राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।

✓ प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख हैं कि उक्त आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय सम्बन्धित की वेबसाइट पर तुरन्त डलवाने का श्रम करें।

 8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

२४ राज्यपुरा १८०५